न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/88/2023	2023/479	26-07-2023	27-12-2023

01– विष्णु सिंह पुत्र स्व0 हाकम सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम झारेडा तह0 व जिला अलवर राज0।

02– पूनम बाई पत्नी श्री हाकम सिंह चौहान पुत्री स्व. हाकम सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम टटेरा वाया अजीतगढ़ जिला सीकर राज0।

03– उर्मिला कंवर पत्नी श्री सूरजभान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तोलावास तह0 नारायणपुर जिला अलवर राज0।

04– रेखा देवी पत्नी हरकेश सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खरखड़ा तह0 बानसूर जिला अलवर राज0।

–अपीलाण्ट्स

बनाम

01– तहसीलदार अलवर जिला अलवर राज0।

02– श्रीमती मीरा पत्नी श्री अजीतसिंह पुत्र भगवानसिंह चौहान जाति राजपूत निवासी ढीकवाड तह0 नीमराना जिला अलवर राज0।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 16.06.2023 तहसीलदार अलवर राज0।

उपस्थितः–

01–श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्ट

02–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

–निर्णयः–

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के निर्णय दिनांक 16.06.2023 इंतकाल स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलाण्ट के दादा/पिता श्री प्रहलाद सिंह पुत्र उमराव सिंह उर्फ महताव सिंह की ग्राम झारेड़ा तह0 व जिला अलवर में खातेदारी काश्तकारी की भूमि (1) खाता सं0 58 में आराजी खसरा नं0 29 रकबा 0.38 है0 का संपूर्ण हिस्सा, (2) खाता सं0 55 में खसरा नं0 71 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 72 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 90 रकबा 0.54 है0, ख0नं0 91 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 92 रकबा 0.19 है0 कुल किता 5 रकबा 1.47 है0 में 1/4 हिस्सा, (3) खाता सं0 57 में खसरा नं0 77 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 78 रकबा 0.33 है0 कुल किता 2 रकबा 0.63 है0 में 1/4 हिस्सा, (4) खाता सं0 133 खसरा नं0 277 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 280 रकबा 0.67 है0, ख0नं0 285 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 रकबा 0.85 है में 1/2 हिस्सा, (5) खाता सं0 56 में खसरा नं0 268 रकबा 0.74 है0, ख0 नं0 269 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 270 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 271 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 272 रकबा 0.46 है0, ख0नं0 273 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 274 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 275 रकबा 0.02 है0 कुल किता 8 रकबा 1.80 है0 में 1/2 हिस्सा, (6) खाता सं0 133 में खसरा नं0 276 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 286 रकबा 0.45 है0 कुल किता 2 रकबा 0.90 है0 में 1/2 हिस्सा निहित रहा है जिसका अंकन हाल जमाबंदी संवत 2072–2074 में हो रहा है। अपीलाण्ट के दादा/पिता श्री प्रहलाद सिंह पुत्र उमराव सिंह उर्फ महताव सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम झारेडा तह0 व जिला अलवर दिनांक 26.09.1988 से लापता होने पर न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 4, अलवर के द्वारा सिविल वाद सं. 34/114/06 बअनुवान उग्गम कंवर वगैरा बनाम राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, अलवर वगैरा में निर्णय दिनांक 27.04.2007 पारित कर प्रहलाद सिंह की सिविल डेथ/मृत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथ

घोषित किया गया है। अपीलाण्ट में से अपीलाण्ट सं0 2 लगायत 4 जो कि मूल खातेदार प्रहलाद सिंह की पुत्री उर्मिला कंवर व रेखा देवी एवं पौत्री पूनम बाई पुत्री स्व0 हाकम सिंह जो कि विवाहित हैं। उर्मिला कंवर का विवाह सूरजभान सिंह निवासी ग्राम तोलावास तह0 नारायणपुर जिला अलवर के साथ हुआ, रेखा देवी का विवाह हरकेश सिंह निवासी ग्राम खरखडा तह0 बानसूर जिला अलवर के साथ हुआ एवं पूनम बाई का विवाह हाकम सिंह चौहान निवासी ग्राम टटेरा वाया अजीतगढ़ जिला सीकर के साथ संपन्न हुआ, जो कि अपने अपने परिवार में राजीखुशी निवास करती हैं। अपीलाण्ट के दादा/पिता मृतक प्रहलाद सिंह के पुत्र उदय सिंह का विवाह रेस्पोडेण्ट सं 2 से हुआ था। उदय सिंह की विवाह के 22 दिन पश्चात दिल्ली में हुई दुर्घटना में दिनांक 10.06.1996 को लाऔलाद मृत्यु हो गयी। उदयसिंह की विधवा रेस्पोडेण्ट सं0 2 मीरा की माता शान्ति देवी पत्नी स्व0 भगवान सिंह निवासी मिर्जापुर तह0 मालाखेड़ा जिला अलवर के द्वारा रेस्पोडेण्ट सं0 2 का पुर्नविवाह दिनांक 10.03.2003 को अजीतसिंह पुत्र भगवानसिंह चौहान निवासी ढीकवाड तह0 नीमराना जिला अलवर के साथ कर दिया गया। रेस्पोडेण्ट सं0 2 के द्वारा अजीतसिंह के साथ दिनांक 10.03.2003 को पुर्नविवाह किये जाने के पश्चात अजीतसिंह के नुत्फे से गर्भवती होकर दो संतानों अजनाम पुत्री काजल जन्म दिनांक 11.05.2006 व पुत्र अभिषेक जन्म दिनांक 01.05.2009 को जन्म दिया गया। रेस्पोडेण्ट सं0 2, दिनांक 10.03.2003 के पश्चात लगातार ग्राम ढीकवाड तह0 नीमराना जिला अलवर में अपने परिवार सहित निवास कर रही है जिसके अपने पति अजीत सिंह की संपत्ति हक हकूक निहित चल रही है। रेस्पोडेण्ट सं0 2 के द्वारा पुर्नविवाह किये जाने के कारण उसका उदयसिंह पुत्र स्व0 प्रहलाद सिंह की चल अचल संप्रत्ति में कोई हक हकूक निहित नहीं रहे हैं, ना ही अपीलाण्ट के दादा/पिता स्व0 प्रहलाद सिंह की संपत्ति में निहित रहे हैं, जिसके बावजूद हल्का पटवारी गुंदपुर के द्वारा रेस्पोडेण्ट सं0 2 से साजबाज होकर रेस्पोडेण्ट सं0 1 के आदेश दिनांक 05.05.2023 के अनुसरण में तैयार की गई मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 29. 05.2023 जिस पर मिन अपीलाण्ट सं0 1 के हस्ताक्षर करवाये गये थे, में तदोपरांत रेस्पोडेण्ट सं0 1 के समक्ष मौका पर्चा रिपोर्ट पेश करने से पूर्व उसमें कांट छांट की गई, नवीन तथ्य दर्ज करते हुए लाइन बढ़ाई गई, जो कांट छांट की गई उस पर कोई हस्ताक्षर नहीं किये गये। अपीलाण्ट के दादा/पिता मृतक प्रहलाद सिंह की खातेदारी की भूमि में रेस्पोडेण्ट सं0 2 का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है, चूंकि उसके द्वारा अपने पति उदयसिंह की दुर्घटना में दिनांक 10.06.1996 को हुई मृत्यु के 22 दिन पश्चात ही अपने पीहर चली गई एवं पीहर निवास के दौरान ही करीब 07 वर्षो के पश्चात अजीतसिंह नामक शख्स से दिनांक 10.03.2003 को पुर्नविवाह किया जाकर लगातार ग्राम ढीकवाडा में निवास कर रही है एवं अजीतसिंह के नुत्फे से दो संतानों को क्रमशः दिनांक 11.05.2006 व 01.05.2009 को जन्म दिया, जिससे बखूबी साबित है कि रेस्पोडेण्ट सं0 2 के साथ साजबाज होकर बेजा रूप से रेस्पोडेण्ट सं0 2 को मृतक प्रहलाद सिंह का वारिस होना दर्ज किया जाकर मौका पर्चा दिनांक 29.05.2023 कांट छांट करते हुए तैयार किया गा, जिस पर रेस्पोडेण्ट सं0 1 समुचित गौर ना करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से प्रहलाद सिंह का विरासत इंतकाल खोले जाने के आदेश पारित किये गये है। मृतक प्रहलाद सिंह का वारिस इंतकाल अपीलाण्ट के हक में खोला जाना न्यायोचित है जिस हेतु यह अपील हाजा माननीय न्यायालय में नेकनीयती से पेश की जा रही है जिसमें अपीलाण्ट की कोई दुर्भावना व वदयान्ति नहीं है। रेस्पोडेण्ट नं0 2 के द्वारा उदयसिंह की मृत्यु के 22 दिनों के पश्चात अपने पीहर चली गई और उसने दिनांक 10.03.2003 को पुर्नविवाह किया जिसके उपरान्त रेस्पोडेण्ट नं0 2 का उदयसिंह अथवा उसके पिता प्रहलाद सिंह की चल अचल संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा। पुर्नविवाह करने वाली महिला को पूर्व मृत पति की संपत्ति में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार निहित नहीं है, जिस बाबत रेवेन्यू बोर्ड, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोत्तम न्यायालय के द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं, जिनकी रोशनी में भी पटवारी हलका गुंदपुर के मौका पर्चा के आधार पर रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06. 2023 अपास्त व अभिखण्डित फरमाये जाने योग्य है। विरासत में पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जावे और किसी वारिस के बारे में संशय हो तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट नं0 1 को प्रकरण को धारा 135(2) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत दर्ज किया जाकर पक्षकारा की समुचित सुनवाई की जाकर आदेश पारित करना चाहिए था। अपीलान्टान के द्वारा रेस्पोडेण्ट नं0 1 के समक्ष प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 13.04.2023 के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, उन दस्तावेजात में रेस्पोडेण्ट नं0 2 का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पंचायत चुनाव निर्वाचन नामावली 2021, पुर्नविवाह का विवाह कार्ड, रेस्पोडेण्ट नं0 2 के पति अजीत सिंह की ओर से बनवाए गए विवाह कार्ड की प्रति पेश की गई, जिन दस्तावेजात से यह बखूबी जाहिर व साबित था कि रेस्पोडेण्ट नं0 2

के द्वारा अजीत सिंह के साथ पुर्नविवाह किया जाकर उसकी संतानों को जन्म दिया जाकर पालन पोषण किया जा रहा है जिसका पृथक परिवार है। उक्त से यह स्पष्ट था कि रेस्पोडेण्ट नं0 2 का अपीलान्ट के दादा/पिता प्रहलाद सिंह की चल अचल संपत्ति में कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है, ना ही रेस्पोडेण्ट नं0 2 के हक में प्रहलाद सिंह का विरासत इंतकाल खोला जा सकता है, जिसके बावजूद मातहत अदालत ने आलोच्य ओदश दिनांक 16.06.2023 पारित करने में अहम कानूनी वाकेयाती गलती की है, जिस कारण से आलोच्य आदेश निरस्त फरमाए जाने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों पर गौर फरमाते हुए अपील हाजा स्वीकार कर मातहत तहसीलदार अलवर द्वारा जारी आदेश दिनांकित 16.06.2023 निरस्त फरमाते हुए अपीलाण्ट के दादा/पिता श्री प्रहलाद सिंह पुत्र उमराव सिंह उर्फ महताव सिंह की ग्राम झारेडा, तह0 व जिला अलवर में खातेदारी काश्तकारी की भूमि (1) खाता सं0 58 में आराजी खसरा नं0 29 रकबा 0.38 है0 का संपूर्ण हिस्सा, (2) खाता सं0 55 में खसरा नं0 71 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 72 रकबा 0.28 है0, ख0नं0 90 रकवा 0.54 है0, ख0नं0 91 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 92 रकबा 0.19 है0 कुल किता 5 रकबा 1.47 है0 में 1/4 हिस्सा, (3) खाता सं0 57 में खसरा नं0 77 रकबा 0.30 है0, ख0नं0 78 रकबा 0.33 है0 कुल किता 2 रकबा 0.63 है0 में 1/4 हिस्सा, (4) खाता सं0 133 खसरा नं0 277 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 280 रकबा 0.67 है0, ख0नं0 285 रकबा 0.05 है0 कुल किता 3 रकबा 0.85 है में 1/2 हिस्सा, (5) खाता सं0 56 में खसरा नं0 268 रकबा 0.74 है0, ख0 नं0 269 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 270 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 271 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 272 रकबा 0.46 है0, ख0नं0 273 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 274 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 275 रकबा 0.02 है0 कुल किता 8 रकबा 1.80 है0 में 1/2 हिस्सा, (6) खाता सं0 133 में खसरा नं0 276 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 286 रकबा 0.45 है0 कुल किता 2 रकबा 0.90 है0 में 1/2 हिस्सा निहित रहा है जिसका अंकन हाल जमाबंदी संवत 2072–2074 में हो रहा है, का विरासत इंतकाल अपीलाण्ट के हक में दर्ज व स्वीकार फरमाया जावे। वकील अपीलाण्ट द्वारा अपने अपील के समर्थन में डी.डब्ल्यू. जे 2021 (2) रेवेन्यू पेज 1184, आर.आर.डी 2019 पेज 1221, आर.आर.डी 2002 पेज 31 पेश किये हैं।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलाण्टान की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि तहसीलदार अलवर का आदेश दिनांक 16.06.2023 को निरस्त फरमाते हुए विवादित आराजी के विरासत का इंतकाल उनके नाम दर्ज व स्वीकार किया जावे। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया था कि माननीय न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–4 अलवर के द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 27.04.2007 की पालना में उनके वारिसान के नाम विरासत का इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया जावे। तहसीलदार द्वारा उसी प्रार्थना पत्र के पृष्ठ भाग पर पटवारी हल्का गुंदपुर को आदेशित किया कि मूल प्रार्थना पत्र/आपकी रिपोर्ट/संलग्न भेजकर लेख है कि प्रकरण में यदि किसी दीगर न्यायालय का स्थगन प्रभावी ना हो तो नियमानुसार वारिसानों के नाम नामान्तकरण दर्ज करना सुनिश्चित करें। अपीलाण्ट द्वारा उक्त आदेश दिनांक 16.06.2023 की अपील की गई है जो तहसीलदार द्वारा पटवारी को निर्देशित किया गया है। उक्त आदेश से ना तो इंतकाल स्वीकार किया गया, ना ही खारिज किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा पटवारी को दिये गये निर्देशों को ही निर्णय मानकर अपील मानकर अपील की गयी है जो विधिवत नहीं है। अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)